न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, पुष्पा सत्यानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 59/19 **निर्णय दिनांकः** 5-2-21
(जीसीएमएस संख्या 2019/00094)

1. मोहम्मद हनीफ पुत्र छोटूखॉ जाति मुसलमान निवासी सुभाषपुरा, बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 01—12—1992
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः—

1. श्री रविराज सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट्

—निर्णय—

अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के निर्णय दिनांक 01—12—1993 जिसके द्वारा अपीलांट का भूमिहीन आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर भूमिहीन आवंटन में आवंटन हेतु उपनिवेशन तहसील कोलायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 12:22:15 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। आवंटन पत्रावली के तहत अपीलांट को नोटिस जारी किया गया परन्तु उक्त नोटिस अपीलांट को तामील नहीं हुआ। अदालत मातहत द्वारा बिना सुने एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया जिसमें अपीलांट अपीलांट का कोई दोष नहीं है।

तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के खारिजी प्रार्थना पत्र को जरिये बस्ता संख्या 261 पैड संख्या 1593 कम संख्या 1330 के अनुसार अपीलांट की पत्रावली को विनिष्ट कर दिया गया। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलांट से पुनः दस्तावेज लेकर नई पत्रावली संयोजित किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक अपीलांट ने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

5. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 01—12—1993 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील दिनांक 28—02—2019 को पेश की गई है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

उप खण्ड अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 12:22:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट द्वारा बतौर भूमिहीन आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 01—12—1993 को खारिज होने के अपीलांट द्वारा आगामी 26 वर्षो में अपने प्रार्थना पत्र पर भूमिहीन आवंटन कराने हेतु किसी प्रकार की कोई चाराजोई नहीं की गई है। कालान्तर में अपीलांट की पत्रावली को विडिंग कमेटी द्वारा रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल 1954 की धारा 137 के अनुसार विडिंग करने की अवधि अर्थात 12 वर्ष उपरान्त विडिंग कमेटी के निर्णय के अनुसरण में विनिष्ट किया जा चुका है। अपीलांट स्वयं इतनी लम्बी अवधि तक अपने अधिकारों के प्रति सावचेत नहीं रहा है। न्याय का भी यह प्रतिपादित सिद्वान्त है कि सोया हुआ व्यक्ति न्याय प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष भी ऐसा कोई दस्तावेज अर्थात प्रार्थना पत्र प्रमाणित प्रति, प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत सबूत आदि प्रस्तुत नहीं किये गये है। जिसको आधार बनाकर नई पत्रावली के गठन के आदेश प्रसारित किये जा सके। अतः अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

6. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 01—12—1993 बहाल रखा जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 5-2-21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुष्पा सत्यानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 12:22:15 IST
Reason: SelfAttested